न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 92 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.खैराज राम पुत्र खेताराम जाति चौधरी निवासी लालकी तहसील रोहट जिला पाली।		01.नारायणराम पुत्र खेताराम जाति चौधरी निवासी ग्राम लालकी तहसील रोहट जिला पाली 02.खरताराम पुत्र भवराराम जाति चौधरी निवासी ग्राम लालकी तहसील रोहट जिला पाली 03.नरसिगं राम पुत्र भवराराम जाति चौधरी निवासी ग्राम लालकी तहसील रोहट जिला पाली 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नरपतसिह राजपुरोहित उपस्थित नही ।
02.अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ईश्वर सिह उपस्थित।
03.अप्रार्थीगण संख्या 2 से 3 की और से अधिवक्ता सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 9/9/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा खेताराम जी के पुत्र एव पौत्र है खेताराम जी की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की जमीन ग्राम लालकी तहसील रोहट जिला पाली की सरहद मे खसरा 89,102,103,113,218 कुल खसरा 05 रकबा 168 बीघा 14 बिस्वा जमीन आयी इुई है तथा ग्राम खराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी मे खेताराम जी की संयुक्त परिवार की आय से खेताराम जी द्वारा अपने पुत्र भंवराराम, खैराजराम, के नाम से खसरा नम्बर 1036 रकबा 24 बीधा 02 बिस्वा 01 बिस्वांशी जरिये विक्रय विलेख दिनाक 11.06.1998 को खरीद किया तथा खसरा संख्या 1036/1 रकबा 12 बीधा नारायणराम पुत्र खेताराम के नाम से दिनांक 01.06.1998 को क्रय किया। उक्त खाराबेरा पुरोहितान की खरीदसुदा खसरा नम्बर 1036, 1036/1 कृषि भूमि संयुक्त परिवार की आय से संयुक्त परिवार हेतु खरीद की गई थीं जिसका कब्जा एव उपयोग व उपयोग खेताराम जी के वारिसान तीनो पुत्रो द्वारा किया जा रहा था। खेताराम जी का स्वर्गवास सन् 2007 मे हो गया। खेताराम के द्वारा अपनी जीवनकाल मे ही अपनी पुश्तैनी खातेदारी भूमि जो ग्राम लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 89,102,103,113,218 मे जरिये लिखित पारिवारिक समझौता दिनांक 27.01.1977 द्वारा अपने खातेदारी अधिकार के तहत अपने नाम के स्थान पर अपने तीनो पुत्र भवराराम, नारायणराम, खैराजराम के नाम 1/3 –1/3 खातेदारी दर्ज करवायी थी। जिसका नामान्तरकरण भंवराराम, नारायणराम, व खैराजराम के नाम दिनांक 25.07.1977 को दर्ज हुआ उक्त खसरा भूमि तीनो भाईयो के नाम सामलाती/संयुक्त दर्ज होने के बाद तीनो भाई संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे। तथा खेताराम अपने जीवनकाल मे ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे अपने पुत्र भंवराराम नारायणराम व खैराजराम के राम संयुक्त परिवार की आस से खसरा नम्बर 1036 च 1036/1 की भूमि खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण सख्या 501 व 502 नारायणराम पुत्र खेताराम व भंवराराम खैराजराम पुत्र श्री खेताराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से उपरोक्त खसरान् भूमि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा नम्बर 1036 व 1036/1 को प्रार्थी के पक्ष मे पारिवारिक समझौते व विभाजन अनुसार हस्तांतरित कर खातेदारी दर्ज कराने हेतु कहने पर टालमटोल करते रहे है तथा हाल ही 01.12.2023 को प्रार्थी को साफ इंकार कर दिया कि उक्त खसरा भूमि जो ग्राम खाराबेरा पुरोहितान मे स्थित है जिसमे हमारे नाम खातेदारी मे दर्ज हिस्से को तुम्हारे पक्ष मे समझौते अनुसार हस्तारित नही करेगे तथा उक्त जमीन को बेचने हेतु हमने किसी दीगर तृतीय पक्ष के साथ बेचान इकरारनामा निष्पादित कर दिया है जिसको हम किसी दीगर पक्ष को बेचान कर देगे ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को अपने हक अधिकारो के तहत अप्रार्थीगण को कब्जा

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

काश्त मे दखल करने से रोकना तथा बेचान करने से रोकना आवश्यक है जिस हेतु प्रार्थी के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। जावे तथा मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की स्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता ईश्वरसिह द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण राजपुरोहित द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव मे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यो का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता को प्रकरण मे बहस हेतु न्यायहित मे अन्तिम से अन्तिम अवसर बहस वास्ते दिये गये परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नही।

अप्राथीगण संख्या 01 के अधिवक्त द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुवे बहस मे बताया गया कि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा नम्बर 1036 व 1036/1 भूमि जो खेताराम जी के संयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा नही है खसरा नम्बर 1036 रकबा 24 बीधा 2 बिस्वा 01 बिस्वाशी भूमि खेराजराम व भंवराराम पुत्र खेतराराम के द्वारा दिनांक 11.06.1998 को खरीद की है तथा खसरा नम्बर 1036/1 रकबा 12 बीधा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 नारायणराम ने अपनी स्वअर्जित आय से दिनांक 01.06.1998 को खरीद की है अप्रार्थी संख्या 1 खरीद करने के पश्चात आज दिन तक उक्त भूमि पर काबिज चला रहा हैं खेताराम द्वारा अपने जीवनकाल मे ग्राम लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 89,102,103,113,218 कुल खसरा 5 कुल रकबा 108 बीधा 14 बिस्वा बंटवाडा दिनांक 17.01.1977 अपने तीनो पुत्रो को बराबर बराबर खातेदारी दर्ज करवाई वो सही है अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने निजी आय से खसरा नम्बर 1036/1 रकबा 12 बीधा भूमि दिनांक 01.06.1998 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की है इस कारण उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आस से खरीदासुदा भूमि नही है। उक्त वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1036/1 की भूमि जरिये पारिवारिक समझौता व मोखिक विभाजन के अनुसार प्रार्थी के हक हिस्से व स्वामित्व की है प्रार्थी व अप्रार्थीगा के बीच आज दिन तक कोई पारिवारिक समझौता व मोखिक बटवाडा नही हुआ है इस कारण उक्त भूमि का बेचान करने का अप्रार्थी संख्या 1 को अधिकार है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही बनकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष मे बनता है इस कारण प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 02 से 03 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे जबाव पेश किया गया लेकिन बहस मे अनेक अवसर दिया जाने के बावजूद उपस्थित नही हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा नम्बर 1036 व 1036/1 मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार अपने अपने खातेदारी हिस्सो पर सयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है जिससे प्रार्थी स्वीकार कर रहा है इस कारण प्रार्थी उक्त भूमि को विवादग्रस्त साबित कराने मे असफल रहा। ऐसी स्थिति मे प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(पुखराज कांकोरिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी